

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 348 / 2018-19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

महादेव मुण्डा

- विक्रेता

1. शिलवन्ती पुर्ती वो 2. सुडालेन पुर्ती

- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
13.03.20	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक महादेव मुण्डा पिता स्व० सोमा पाहन ग्राम-पोकला, थाना मुरहू, जिला खूँटी ने 1. शिलवन्ती पुर्ती पति श्री बेनेदित सोय ग्राम-बोयसा टोला बिन्दा, थाना मुरहू, जिला खूँटी वो 2. सुडालेन पुर्ती पिता स्व० नाजिर पुर्ती ग्राम-रोरो, पोस्ट-बिन्दा, थाना मुरहू, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1" data-bbox="236 763 1369 853"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकबा (एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>पोकला</td> <td>251</td> <td>18</td> <td>48</td> <td>0.19</td> </tr> </tbody> </table> <p>उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं० 0454967541 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 52 दिनांक 28.01.20 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम पुती पाहन वैगरह हैं। पंजी II के अनुसार आसा राम पाहन वगैरह के नाम भूमि का रकबा 38.24 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 2.65 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2019-20 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 4643.00(चार हजार छ सौ तीन)रु० प्रति डीसमिल है। इस भूमि के क्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 2.46 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना मुरहू के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, मुरहू ने आवेदक क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>क्रेता के द्वारा समर्पित शपथ पत्र सं०- 58 / Feb दिनांक 15.02.20 के अनुसार सुडालेन पुर्ती अविवाहित है।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, मुरहू से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण महादेव मुण्डा पिता स्व० सोमा पाहन को 1. शिलवन्ती पुर्ती पति श्री बेनेदित सोय वो 2. सुडालेन पुर्ती पिता स्व० नाजिर पुर्ती के साथ ग्राम पोकला के खाता सं० 18 खेसरा संख्या 48 कुल रकबा 0.19 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 4643.00(चार हजार छ सौ तीन)रु० प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, मुरहू के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;">13/03/20</p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p> <p style="text-align: center;">13/03/20</p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)	पोकला	251	18	48	0.19	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)								
पोकला	251	18	48	0.19								